बिहार राज्य वित्तीय निगम,

फ्रेजर रोड, पटना–1.

बिहार राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 29 (यथा संशोधित वर्ष 2006)

के अन्तर्गत दृष्टि (Hypothecated) वाहनों की बिक्री हेतु निविदा

निगम द्वारा वित्त प्रदत्त एवं ऋण अदायगी में चूक करनेवाले निम्नांकित दृष्टि बंधक (Hypothecated) वाहनों को खुला डाक बोली तहत "जैसा है जहाँ है" के तर्ज पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित करता है :–

वाहनों की विवरणी, शर्त्तें एवं स्थान निम्नप्रकार है :–

क्र. सं.	वाहन के प्रवर्त्तक का नाम एवं पता	वाहन का विवरण	आरक्षित मूल्य (रूपये लाख में)	कुल बकाये की राशि	निविदादाता द्वारा जमा की जानेवाली अग्रधन की राशि (रूपये लाख में)	वाहन स्थान
1	रामजी प्रसाद साह, दहीआवन टोला, छपरा,	टाटा 407 वस (मैक्सी) बी.ई. डी–2463	20000	30.17 लाख (31.3.14)	5000/–	शाखा कार्यालय, छपरा ।
2	कुशेसबर कुँवर, पो.–हरिशंकर मनिहारी, सिलौट, मुजफ्फरपुर ।	टाटा 407 मिनी ट्रक मोडल–188 बी.पी.के–8049	20000	18.71 लाख (31.3.14)	5000/–	शाखा कार्यालय, मुजफ्फरपुर।
3	सुरजमल कुँवर, द्वारिकापुर, पो0–मालपुर, अगरेल पी.एस. सकरा, मुजफ्फरपुर	टाटा 407 (मैक्सी) बी.पी.के–9769	16000	22.86 लाख (31.3.14)	5000/–	शाखा कार्यालय, मुजफ्फरपुर।
4	महेशकान्त झा, सिलौट, मुजफ्फरपुर ।	टाटा 407 बी.पी. के. –9275	20000	28.97 लाख (28.3.14)	5000/–	शाखा कार्यालय, मुजफ्फरपुर।
5	मुननी देवी, दीवा रोड, वसहु लेन, मुजफ्फरपुर ।	टाटा 407 मिनी ट्रक बी.ई.एफ –2282	20000	31.14 लाख (31.3.14)	5000/–	शाखा कार्यालय, मुजफ्फरपुर ।
6	गोपाल प्रसाद भगत, पूर्णिया ।	स्वराज मजदा बी. आर.11पी–5067	20000	69.63 लाख (31.3.13)	5000/–	शाखा कार्यालय, पूर्णिया।
7	रविन्द्र नारायण सिंह, दरभंगा ।	टाटा 407 बी. आर 07–3065	20000	28.26 लाख (31.3.13)	5000/–	शाखा कार्यालय, दरभंगा ।
8	जय हिन्द सिंह, पूर्णिया ।	टाटा 407 वी.	14000	46.92 लाख	5000/–	शाखा कार्यालय,

		आर.-11 पी-4087		(31.3.134)		पूर्णिया।
9	बदरी नारायण चौधरी, पूर्णिया ।	महेन्द्रा जीप बी.आर-11पी-4479	6000	30.28 लाख (31.3.13)	5000/-	शाखा कार्यालय, पूर्णिया।
10	राम बिहारी चौधरी, दरभंगा ।	टाटा ट्रक -1210 बी.आर.-07 एच. 2095	20000	46.13 लाख (31.3.13)	5000/-	शाखा कार्यालय, दरभंगा ।
11	सुरेश प्रसाद सिंह, धनुआ, वैशाली ।	महेन्द्रा जीप बी.ई.एफ.- 1498	10000		5000/-	शाखा कार्यालय, पटना ।
12	अर्जून सिंह, ग्राम-रामकेरा, पो. -अमलिया, पी. एस. सिसैई, गुमला ।	ट्रक,बी.ई.एन. 9627	60000/-	43.96 लाख (31.3.14)	6000/-	शाखा कार्यालय, राँची ।

विज्ञापित वाहनों का ब्योरा/विवरण एवं "निविदा प्रपत्र" निगम के स्थानीय शाखा कार्यालय एवं मुख्य कार्यालय में उपलब्ध होगा । निविदा प्रपत्र रूपये 50/- के नगद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है । पूर्ण रूप से भरे गये "निविदा प्रपत्र" के साथ उपर वर्णित अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट, जो "Bihar State Financial Corporation" के पक्ष में पटना या शाखा कार्यालय के स्थान में देय हो, निविदाकर्त्ता द्वारा संलग्न करना होगा ।

निविदा निगम के स्थानीय शाखा कार्यालय में दिनांक 22.082014 को 6.00 बजे अपराह्न तक जमा किया जा सकता है । जिस वाहन की खरीद हेतु निविदा दी जा रही है, उस वाहन एवं निविदादाता का नाम पूर्ण पते के साथ बंद लिफाफा पर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए । अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट बंद लिफाफे के साथ अलग से जमा करना होगा । अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग निविदा देय होगा ।

किसी एक या सभी विज्ञापित वाहनों की बिक्री हेतु यदि कोई निविदा/मान्य निविदा उक्त निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होता है, तो वैसे सभी विज्ञापित वाहनों लगातार बिक्री (CONTINUOUS) के लिए विज्ञापित रहेगी, तथा इस लिए पुनः अलग से कोई विज्ञापन नहीं निकाला जाएगा और तबतक निविदा आमंत्रित रहेगी जबतक कि इकाई के

मूल प्रवर्त्तक पूर्ण बकाया का चुकता नहीं कर देते हैं, या बिक्री प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती है । बिक्री के लिये विज्ञापित वैसी वाहनों की सूची निगम के प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय के सूचना पट्ट पर उपलब्ध रहेगी ।

यदि आवश्यक हुआ तो निविदा खोले जाने के उपरान्त, इकाई की राशि एवं निगम के बिक्री संबंधी स्थायी शर्त्तों के अलावा अन्य बन्धेज/शर्त्ते तय करने हेतु निविदादाता (ओं)/उनके प्राधिकृत(ओं) के साथ खुली डाक बोली प्रधान कार्यालय या संबंधित शाखा कार्यालय में किया जा सकता है । जिसकी सूचना निबंधित पत्र द्वारा अलग से दी जायेगी । प्राप्त निविदा के आधार पर या डाक बोली के दौरान तय बिक्री राशि एवं शर्त्तों के आधार पर, यदि निविदादाता का प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है, तो उन्हें बिक्री की उन तमाम शर्त्तों, जो निविदा में सम्मिलित/उल्लिखित है, का अक्षरशः अनुसार करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि एवं अन्य जमा राशि को जप्त कर लिया जायेगा, जिसके लिए उन्हें कोई सूचना अथवा उनसे कोई सम्पर्क नहीं किया जायेगा । शेष निविदादाताओं (यदि कोई हो), जिनकी निविदा स्वीकृत नहीं हुई हो तो उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि की वापसी उनके अनुरोध पर बिना किसी सूद के "खाते में भुगतेय चेक" (a/c payee cheque) द्वारा किया जायेगा ।

(1) निगम प्राप्त निविदाओं से निगोशिएशन खुली डाक बोली के बाद उत्तम निविदा प्राप्त करने हेतु पुनर्विज्ञापन की जायेगी ।

(2) किसी निविदादाता के पक्ष में बिक्री तय हो जाने की स्थिति में उन्हें पूर्ण बिक्रय राशि (100%) एक माह के अन्दर जमा करना होगा ।

(3) इस प्रकाशन के माध्यम से उक्त वाहन के मूल प्रवर्त्तक/मालिकों को सूचित किया जाता है कि निविदा प्राप्त करने के अंतिम तिथि के अन्दर कुल बकाये की अदायगी कर देना चाहिए, अन्यथा वाहन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-29 के तहत बिक्री के उपरान्त शेष बकाये की राशि आपके उपर देय रहेगी ।

(4) उपर वर्णित वाहनों के प्रवर्त्तक यदि ऋणों का निबटारा कर लिए हैं या पूर्व की किसी योजना के अन्तर्गत भुगतान कर रहे हैं अथववा कर चुके हैं या बिक्री के संबंध में किसी न्यायालय से स्थगन आदेश पारित है, तो तत्संबंधी सूचना विस्तृत विवरणी के साथ इस प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने का उनसे अनुरोध किया जाता है जिससे उपयुक्त निर्णय लिया जा सके ।

(5) इस संबंध में विस्तृत जानकारी एवं पूछताछ हेतु कृपया स्थानीय शाखा कार्यालय, जिसके क्षेत्राधीन विज्ञापित वाहन जहाँ है, से सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है अथवा निगम के वेबसाइट WWW.bsfc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है ।

(6) प्रबन्ध निदेशक को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदा (ओं) को बिना कारण बताये स्वीकृत या रद्द कर सकें ।

ह0/-

प्रबन्ध निदेशक

4/Oj/Hypothecated Vehicle